

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या: 283 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2018, दिनांक: 07 जून, 2018

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित खण्डों/स्थानों पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-


क्रमांक	नाम/गृह जनपद/जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को	धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1	राजेश कुमार /हरिद्वार/ 2.07.64	नलकूप खंड, रामनगर	लघुडाल खंड, पिथौरागढ़ (उपखंड-3 बागेश्वर) (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(क)	धारा 7 (ग) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने पर जो भी पहले हो उस स्थानान्तरण सत्र में सुगम क्षेत्र में आने के पात्र होंगे
2	उमेश कुमार /अलीगढ़/ 1.05.67	नलकूप खंड, रूड़की	लघुडाल खंड, अल्मोड़ा (उपखंड-2) (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(क)	-तदैव-
3	इसम सिंह /हरिद्वार /20.08.76	स्थापना खंड, रूड़की	लघुडाल खंड, पिथौरागढ़ (उपखंड-2) (रिक्त पद पर)	धारा 17(1)(क)	-तदैव-


4	कु0 प्रिया /हरिद्वार/ 1.07.90	नलकूप खंड, हरिद्वार	लघुडाल खंड, श्रीनगर (उपखंड-कोटद्वार)	धारा 17(2) (क) के अन्तर्गत (श्री सच्चिदानन्द, सहायक अभियन्ता की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.18 को होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर)	-
5	अंचित रमन /हरिद्वार/ 7.08.89	नलकूप खंड, हरिद्वार	नलकूप खंड, हल्द्वानी उपखंड-1 (रिक्त पद पर)	धारा 17(2) (क) के अन्तर्गत	-

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- 1 सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 2 स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में धारा 24(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।




8/6/1
ए0के0दिनकर
प्रमुख अभियन्ता

कृ0प0प0.....3

2831

पत्रांक (1) / प्र0अ0 / सिं0वि0 / ई-5 / स्था0-2018 / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, (सिंचाई), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2)/(यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय, आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
5. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
6. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खंड, देहरादून को उत्तराखण्ड बैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
10. वैयक्तिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
11. प्रान्तीय अध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. कट फाईल हेतु।

(टी0एस0 मर्तोलिया)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता